कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष नं. 07752—225545, फैक्स नं. 07752—225545, E-Mail actd.bilaspur@nic.in

विज्ञप्ति

विभागीय कन्या छात्रावास/आश्रमों में निवासरत किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग की प्रशिक्षित ए.एन.एम. महिलाओं का संविदा आधार पर नियोजन

परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास, गौरेला, जिला बिलासपुर के पत्र क्रमांक/829/योजना/2017, दिनांक 20.03.2017 एवं पत्र क्रमाक/799/योजना/2017/ दिनांक 20.03.2017 के अनुसार छ0ग0 की मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं जो कि शासकीय नर्सिंग कॉलेज/मान्यता प्राप्त कॉलेज से प्रशिक्षित हो को पात्रता अनुसार निर्धारित दरों पर बिलासपुर जिले के आदिवासी विकास खण्ड गौरेला/पेण्ड्रा/मरवाही के विभागीय कन्या छात्रावास/आश्रमों में निवासरत किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ए.एन.एम./परामर्श नर्स का संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है। यह नियोजन पूर्णतः अशासकीय होगा तथा उसकी सेवा क्षेत्र का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाकर योजनाकाल तक ही सीमित रहेगा।

आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण—पत्र संलग्न कर **दिनांक 25.11.2017** तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर के कार्यालय में जमा कर सकते है।

01— निर्धारित प्रपत्र में आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि — 25.11.2017

उक्त संबंध में विस्तृत दिशा—निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट **www.bilaspur.gov.in** से अवलोकन कर प्राप्त (**Download**) कर सकते है, अथवा कार्यालयीन समय में कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर के कार्यालय में अवलोकन कर सकते है। विलम्ब से प्राप्त तथा अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त माने जावेंगे। उक्त नियोजन में विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो वह सभी को मान्य करना होगा।

अपर कलेक्टर,
बिलासपुर छ0ग0

प्रेस विज्ञप्ति

बिलासपुर जिले के आदिवासी विकास खण्ड गौरेला/पेण्ड्रा/मरवाही के विभागीय कन्या छात्रावास/आश्रमों में निवासरत् किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु छत्तीसगढ़ की मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग की प्रशिक्षित महिलाओं को ए.एन.एम./परामर्श नर्स का संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षिका के रूप में नियोजन किया जाना है, यह नियोजन अस्थाई रूप से संविदा के आधार पर निम्न लिखित नियम निर्देशों/शर्तों के अधीन किया जावेगा :–

01– छत्तीसगढ़ की मूल निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की ए0एन0एम0 प्रशिक्षित महिलाओं को नियमानुसार प्राथमिकता दी जावेगी।

02– छत्तीसगढ़ की मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग की ए0एन0एम0 प्रशिक्षित महिलाएं जिन्होने विभागीय नर्सिंग योजना से ए.एन.एम./नर्स के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, एवं जिनके पास छ0ग0 नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र है, उन्हे विभागीय कन्या छात्रावास/आश्रमों में सहायक अधीक्षक के रूप में रोजगार देने प्राथमिकता दी जावेगी, जिन्हे 5 अंक अतिरिक्त अधिभार दिया जावेगा।

03– शासकीय कालेज/मान्यता प्राप्त कालेज से ए0एन0एम0 प्रशिक्षित अनुसूचित जनजाति वर्ग की नर्सों को चिन्हांकित कर विज्ञापन के द्वारा उनको पात्रता अनुसार निर्धारित दरों पर संविदा के आधार पर नियोजन किया जावेगा ।

04– यह नियोजन पूर्णतः अशासकीय होगा तथा उनके सेवा क्षेत्र का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाकर योजनाकाल तक ही सीमित होगा ।

05– ए.एन.एम./नर्स की संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षक के रूप में नियोजन प्रतिमाह रू. 12000/– मानदेय रू. 3000/– विविध व्यय (यात्रा देयक सहित) कियो जावेगा।

06– आयु सीमाः– संविदा अनुबंध के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगीं। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनांक 01 जनवरी अनुसार की जावेगी । आयु सीमा में छूट नियमानुसार लागू रहेगी।

07– चयन समिति :– संविदा नियोजन के लिए जिला स्तरीय चयन समिति गठित की जाएगी, जिसमें ए0एन0एम0 की वांछनीय अर्हता की मेरिट अंक सूची के 85% एवं शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्य करने के अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से (अधिकतम 05 वर्ष का अनुभव) अंक दिये जावेंगे एवं उक्त माध्यम से चयन किया जावेगा।

08– विशेष पिछड़ी जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्रावीण्य सूची पृथक–पृथक तैयार की जावेगी।

09– चयनित अभ्यर्थी का संविदा नियोजन मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जावेगा।

10– सेवा से त्याग पत्र देने हेतु एक माह पूर्व सूचना देना होगा। नियोजित संविदा ए.एन. एम. की सेवा समाप्ति का अधिकार नियोजनकर्ता अधिकारी को होगा।

11– नियोजित संविदा ए.एन.एम. को आदेश में दर्शित स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर रहना होगा अन्यथा उनकी सेवा समाप्त की जावेगी ।

12– संविदा अवधि में कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक, वित्तीय अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त पाये जाने पर नियोजनकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा आधार पर किया गया नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।

क्रमशः.....2.....

13– विज्ञापित पद हेतु डाक/कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

14– अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सहीं होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व यदि पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी है तो उन्हे अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। चयन के पूर्व/पश्चात् जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय नियोजनकर्ता का होगा।

15– सभी प्राप्त आवेदनों को विज्ञापन में लिखित शर्तो के आधार पर पात्र/अपात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार की जावेगी।

16– विज्ञापित पद के लिए अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु बुलाया जावेगा।

17– अंतिम चयन सूची व प्रावीण्य सूची प्रकाशन तिथि से आगामी न्यूनतम एक वर्ष या अगली नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने तक वैध रहेगी।

18– नियंत्रणकर्ता अधिकारी के समग्र नियंत्रण में कार्य संपादन होगा।

19– संविदा कर्मचारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 07 कार्य दिवस के भीतर कार्य स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। इसके पश्चात् आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

20– पदस्थापना पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा मेडिकल फिटनेस स्वंय के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षण में फिट पाये जाने पर ही संविदा नियोजन वैध होगा।

21– संविदा अवधि में नियमानुसार आकस्मिक अवकाश/मातृत्व अवकाश देय होगा।

22– अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्न दस्तावेज की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे :–

- हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची।
- संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
- छ0ग0 नर्सिंग कांउसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र।
- विशेष छूट हेतु प्रमाण–पत्र।

उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियोजन उपरांत दस्तावेजो के असत्य पाये जाने पर नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।

23– संविदा कर्मचारी निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एकमुश्त मानदेय राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हे नियमित शासकीय सेवा की पात्रता हासिल नहीं होगी।

24– संविदा अवधि की समाप्ति पर कार्य आधारित मूल्यांकन के आधार पर योग्य पाये जाने पर संविदा अवधि की वृद्धि, आवश्यकता होने पर निर्धारित अवधि हेतु की जा सकेगी। इस हेतु नियोजन का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा।

25– संविदा सेवा अवधि में दी गई सेवाओं के लिए कोई पेंशन, ग्रेच्युटी, बोनस अन्य किसी भी प्रकार के स्वत्वों अथवा नियमित शासकीय सेवा के दावे आदि की पात्रता नहीं होगी।

26– अनुबंध के आधार पर संविदा नियोजन में नियमितिकरण का कोई अधिकार नहीं होगा।

27– पदस्थापना का पूर्ण अधिकार नियोजनकर्ता अधिकारी को होगा। संविदा अवधि में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं होगा।

अपर कलेक्टर,
बिलासपुर छ0ग0

(विभागीय कन्या छात्रावास/आश्रमों में निवासरत किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु छत्तीसगढ़ की मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की ए0एन0एम0 प्रशिक्षित महिलाओं को ए.एन.एम/परामर्श नर्स का संविदा आधार पर नियोजन)

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास
बिलासपुर (छ.ग.)

पासपोर्ट साईज
फोटो
स्वहस्ताक्षरित

01– आवेदिका का नाम :– ....

02– पिता/पति का नाम :– ....

03– आवेदिका की छत्तीसगढ़ राज्य हेतु घोषित अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की सूची में शामिल जाति/समूह का नाम :– .... (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

04– जन्म तिथि (अंको में) :– ....

(शब्दो में) :– ....

05– आयु दिनांक 01.07.2016 की स्थिति मे–

(अंको में) :– ....

(शब्दो में) :– ....

06– छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है :– हां/नहीं (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

07– शैक्षणिक योग्यता :– (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	संस्थान/बोर्ड/विश्वविघालय का नाम	प्राप्तांक पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
01	10 वी				
02	12 वी				
03	ए.एन.एम				

08– छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग का :– ....
जीवित पजीयन क्रमांक (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

09— पत्र व्यवहार हेतु संपूर्ण पता :— ....

....

10— फोन/मोबाईल नंबर :— ....

11— आधार कार्ड नंबर :— ....

(यदि उपलब्ध हो तो छायाप्रति संलग्न करें)

12— यदि विभागीय योजना से लाभांवित हुए:— ....

हों तो संक्षिप्त विवरण देवें ....

....

घोषणा—पत्र

मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्तानुसार क्रमांक—01 से 12 तक दी गई जानकारी सत्य एवं प्रमाणिक है। उक्त जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन/चयन निरस्त किया जा सकता है।

स्थान......................................

दिनांक..............................

आवेदनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर